कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

दूरभाष क (0733)–2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई–मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / पर्यटन / 2022 / 2143 खंडवा, दिनांक 5-5.22

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमि0
पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल (म0प्र0)

विषयः– जिला खण्डवा अंतर्गत म0प्र0 टूरिज्म सैलानी रिसोर्ट मार्ग NHDC गेस्ट हाउस के पास ओंकारेश्वर में 11 केवी लाईन ले जाने हेतु वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में ।
प्रस्ताव क्रमांक **(FP/MP/VELEC/154908/2022)**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 646 / यांत्रिकी / पविनि / 2022 भोपाल दिनांक 27.04.2022

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि जिला खण्डवा अंतर्गत म0प्र0 टूरिज्म सैलानी रिसोर्ट मार्ग NHDC गेस्ट हाउस के पास ओंकारेश्वर में 11 केवी लाईन ले जाने हेतु वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1. प्रस्तावित योजना रकबा 0.2681 हेक्टेयर का मौके पर स्पष्ट सीमांकन किया जावे।
2. प्रस्तावित योजना का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी से संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। संयुक्त निरीक्षण के समय प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तुत की जावे।
4. प्रस्तावित योजना का सीमांकन कराकर प्रभावित वृक्षो का गणना पत्रक प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तावित योजना में कोई राजस्व वन भूमि (छोटे बडे झाड जंगल मद की भूमि) प्रभावित न होने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रकरण में पंजीयन राशि 1,000/– प्रोसेसिंग राशि 5,000/– इस प्रकार कुल राशि 6,000/– अक्षरी रूपये (छः हजार रूपये) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुये प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / पर्यटन / 2022 / 2144 खंडवा, दिनांक 5-5-22

प्रतिलिपि : –

1– मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– उपवनमंडलाधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग– 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय–सीमा में प्रस्तुत करावें।
4– परिक्षेत्राधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्तावित योजना का निरीक्षण किया जाकर भाग –2 में आवश्यक प्रविष्ठि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तावित क्षेत्र में दर्शित होने वाले वन्य प्राणियों के नाम एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (अनुक्रमांक 3 एवं 4)

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा